विचार बिन्दु

श्वास की क्रिया के समान हमारे चरित्र में एक ऐसी सहज क्षमता होनी चाहिए। जिसके बल पर जो कुछ प्राप्य है वह अनायास ग्रहण कर लें और जो त्याज्य है वह बिना क्षोभ के त्याग सकें। –टैगोर

बेहतर कल की तरफ बढ़ता हमारा देश

भारत में हर दस बरस में जनगणना होती रही है। जनगणना से जो जानकारियां प्राप्त होती हैं उनका उपयोग देश की अद्यावधि प्रगति का आकलन करने के लिए तथा भावी योजनाओं के निर्माण के लिए होता है। हमारे देश में अब तक आखिरी दफा जनगणना सन् 2011 में हुई थी। इसके बाद वाली जनगणना सन् 2021 में होनी थी परंतु कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। अब कोविड तो अतीत हो चुका है परंतु जनगणना की कोई आहट सुनाई नहीं दे रही है। कुछ अपुष्ट सूत्रों के अनुसार देश की आगामी दशकीय जनगणना सन् 2026-27 में हो सकती है। लेकिन इस बीच अन्य अनेक सूत्रों से विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं जो हमें अपने देश के वर्तमान और भविष्य के बारे में विचार करने के लिए प्रामाणिक स्त्रोत उपलब्ध कराती हैं। ऐसी ही कुछ जानकारियां हमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा ज़ारी सेंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (संक्षेप में एसआरएस) की सन् 2023 की रिपोर्ट से मिली हैं। बता दूं कि सन् 2023 की यह रिपोर्ट सितम्बर, 2025 में ज़ारी हुई है इसलिए यही नवीनतम रिपोर्ट है। यहीं यह भी बता दूं कि भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा करवाया जाने वाला यह सर्वेक्षण दुनिया के सबसे विशाल जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों में एक माना जाता है।

इस एसआरएस रिपोर्ट में भारत और इसके राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मुख्यत: जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक विकास दर और शिशु मृत्यु दर की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की गई है। कहना अनावश्यक है कि जनगणना के आंकड़ों के अभाव में ये आंकड़े भी हमें अपने देश की प्रगति और भावी योजनाओं के बारे में विचार करने में सहायक साबित होंगे। इस रिपोर्ट से सबसे अहम जानकारी तो यह मिलती है कि देश ने अपनी जनसंख्या वृद्धि पर काबू पाने में भारी सफलता प्राप्त की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच दशकों में देश की जन्म दर में भारी कमी आई है। 1971 में जन्म दर 36.9 थी जो 2023 में घटकर 18.4 रह गई है। केवल इतना ही नहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जन्म दर के बीच का फासला भी काफी कम हुआ है। पांच दशक पहले ग्रामीण क्षेत्रों की जन्म दर शहरी क्षेत्रों की जन्म दर की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। अब ऐसा नहीं रह गया है, हालांकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर अभीभी ज़्यादा है। सन् 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जन्म दर 25.8 बिहार में है जबकि सबसे कम जन्म दर 10.1 अंडमान निकोबार में है। हम अपने राजस्थान की बात करें तो यहां जन्म दर 22.9 है। शहरी क्षेत्रों में यह 20.1 है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अधिक, 23.9 है। जन्म दर की गणना के साथ-साथ लिंगानुपात की गणना भी की जाती है। लिंगानुपात का आशय यह होता है कि प्रति एक हज़ार पुरुष शिशुओं के सामने कितनी बालिका शिशु हैं। सन 2020-22 में जहां यह अनुपात 914 था वहां 2023 में यह बढ़कर 917 हो गया है। शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 925 है जबकि ठाामीण क्षेत्रों में 914 ही है। सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में 974 है तो सबसे कम उत्तराखण्ड में 868 है। इसका आशय यह है कि अब पहले की तुलना में ज़्यादा बच्चियां इस दुनिया में आ रही हैं। भारत में गर्भ में लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या की चर्चाओं के संदर्भ में यह वृद्धि उत्साहवर्धक है।

सारी अन्य बातों के देश एक बेहतर कल की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है उसके बढ़ने की गति हमारी अपेक्षाओं से कम हो, यह निश्चित है कि वह बढ़ रहा है। हम यही कामना कर सकते हैं कि आगे बढ़ने की यह गति और अधिक तेज़ हो और हमारी सरकारें इस मानव संसाधन का अधिक सार्थक उपयोग करे और इस आबादी को बेहतर ज़िंदगी देने के अपने प्रयासों को और अधिक गति दे।

जन्म दर की चर्चा मृत्यु दर की चर्चा के बग़ैर अधूरी है। असल में तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को मिलाकर ही यह समझा जाता है कि जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। मृत्यु दर की गणना के परिणाम को ऐसे समझा जाना चाहिए कि किसी एक ख़ास इलाके में प्रति एक हज़ार लोगों में से कितने काल का ग्रास बन रहे हैं, वही वहां की मृत्यु दर कहलाती है। यह जानना सुखद है कि पिछले पांच दशकों में हमारे देश में मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है। इसका श्रेय बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ी हुई जागरूकता और बेहतर जीवन स्थितियों को दिया जा सकता है। 1971 में देश में मृत्यु दर 14.9 थी जो 2023 में घटकर 6.4 रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह इसी अवधि में 7.2 से घटकर 6.8 और शहरी क्षेत्रों में 6.0 से 5.7 हुई है। अपने राजस्थान में वर्तमान मृत्यु दर 5.9 है। शहरों में यह 5.6 है तो ग्रामीण क्षेत्रों में 6.0 है। 2023 में सर्वाधिक मृत्यु दर 8.3 छत्तीसगढ़ में तो सबसे कम 4.0 चंडीगढ़ में पाई गई है। और जब हम मृत्यु दर की बात कर रहे हैं तो शिशु मृत्यु दर की चर्चा भी कर लेनी चाहिए। असल में शिशु मृत्यु दर को स्थूल रूप से किसी देश या क्षेत्र विशेष का समग्र स्वास्थ्य परिचायक तथ्य माना जाता है। किसी ख़ास इलाके में होने वाले एक हज़ार जन्मों में से एक वर्ष तक की आयु वाले कितने बच्चे काल कवलित हो जाते हैं उसी संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। यह देखना बहुत आश्वस्तिदायक है कि जहां 1971 में यह शिशु मृत्यु दर 129 थी वहीं 2023 में यह बहुत कम होकर मात्र 25 रह गई है। हालांकि यह संख्या भी उपेक्षणीय नहीं है, यह देखा जाना चाहिए कि हम कहां से कहां आ सके हैं। पिछले एक दशक में ही हमारी शिशु मृत्यु दर 40 से घटकर 25 हुई है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर 28 और शहरी क्षेत्रों में 18 है। राजस्थान में यह शिशु मृत्यु दर ठाामीण क्षेत्रों में 31, शहरी क्षेत्रों में 23 और समग्रत: 29 है। देश में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर 37 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है जबकि सबसे कम शिशु मृत्यु दर केवल 3 मणिपुर में है। शिशु मृत्यु दर की एक और गणना अंडर 5 मृत्यु दर के रूप में भी की जाती है। पिछले केवल एक बरस में यह अंडर 5 मृत्यु दर 30 से घटकर 29 हो गई है। यहां यह बात ख़ास तौर पर ग़ौर तलब है कि इस उत्साह बढ़ाने वाली गिरावट के बावज़ूद यह एक त्रासद तथ्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम हर चालीस में से एक शिशु अपनी उम्र का एक साल पूरा होने से पहले यह दुनिया छोड़ जाता है।

इस सर्वेक्षण की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में ये हैं: सन् 2023 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र प्रजनन दर 1.9 है। समग्र प्रजनन दर का आशय यह है कि कोई स्त्री अपनी प्रजनन क्षमता वाले वर्षों में औसतन कुल कितने बच्चों को जन्म देगी। दूसरी बड़ी बात यह कि देश में 14 बरस तक की आयु वाले बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है, और इसी के बरक्स यह तथ्य भी कि कामकाजी उम्र (15 से 59) वालों की संख्या बढ़ रही है। जहां तक कामकाजी उम्र वालों की संख्या बढ़ने की बात है, 1971-81 वाले दशक में यह 53.4 प्रतिशत से बढ़कर 56.3 प्रतिशत हुई थी। इसके बाद 1991 से 2023 के बीच यह बढ़कर 66.1 प्रतिशत हो गई है। शहरी क्षेत्रों में कामकाजी उम्र के लोग 68.8 प्रतिशत हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनसे थोड़े कम, 64.6 प्रतिशत हैं। सबसे ज़्यादा ये दिल्ली में हैं - 70.8 प्रतिशत जबकि सबसे कम 60.1 प्रतिशत बिहार में हैं। देश में न सिर्फ़ कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या बढ़ रही है, बुज़ुर्गों की संख्या भी बढ़ रही है। सन् 2023 में 60 बरस से ऊपर वालों की आबादी 9.7 प्रतिशत हो गई है। ऐसी आबादी केरल में सर्वाधिक, 15.1 प्रतिशत है। जहां कामकरने वालों की संख्या का बढ़ना देश के लिए शुभ लक्षण है वहीं वृद्धों की संख्या के बढ़ने का अर्थ देश के नीति निर्माताओं के दायित्व में वृद्धि है।

इनमें से अधिकांश जानकारियां यह बताती हैं कि बावज़ूद सारी अन्य बातों के देश एक बेहतर कल की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है उसके बढ़ने की गति हमारी अपेक्षाओं से कम हो, यह निश्चित है कि वह बढ़ रहा है। हम यही कामना कर सकते हैं कि आगे बढ़ने की यह गति और अधिक तेज़ हो और हमारी सरकारें इस मानव संसाधन का अधिक सार्थक उपयोग करे और इस आबादी को बेहतर ज़िंदगी देने के अपने प्रयासों को और अधिक गति दे।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

शतायु होने जा रहा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, पूर्णत: सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन या राजनीति में पूरा दखल

महावीर सिंह

27 सितंबर 1925 को स्थापित, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसके संबंध में सार्वजनिक रूप से बहुत सी सही, बहुत सी गलत और बहुत सी भ्रामक सामग्री, बातें उपलब्ध है। एक साधारण से उदाहरण के लिए इसकी शाखाओं और सदस्य संख्या को ही ले ले -- इसके 40 लाख से अधिक स्वयं सेवक बताए जाते है और 70 से 80 हजार के बीच शाखाएं बताई जाती है। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्वयं सेवक (वॉलंटियर्स का) संगठन बताया जाता है किंतु यह भी कि इसके सदस्यों का, शाखाओं की कोई अधिकृत, केंद्रीकृत सूचना कहीं मिलती नहीं है। गोपनीय रूप से होगी, सार्वजनिक तो नहीं है। यह भी अनुभव के आधार पर सही प्रतीत होता है कि जब केंद्र में या किसी प्रांत में भाजपा सरकार होती है तो शाखाओं की व स्वयं सेवकों की संख्या बहुत बढ़ती है और फिर कम भी होती रहती है। इसका एक समझ में आने आला कारण तो यह प्रतीत होता है कि कई लोग शाखा इस लिए ज्वाइन करते है कि उनके या उनके मिलने वालो के, सरकार से होने वाले काम कुछ आसानी से हो जाएं या छोटे स्तर पर कुछ लोग अपना राजनीतिक प्रभाव थोड़ा बढ़ा सकें। शाखाएं भी कई नामों वाली है जैसे प्रात: शाखाएं, सांयकालीन व मिलन शाखाएं, सप्ताह या महीने में एक बार एकत्र होकर चर्चा करने वाली शाखाएं आदि-आदि।

हर संगठन चाहे किसी कानून में पंजीकृत अथवा न हो किंतु उसकी कार्यविधि व संचालन की कोई न कोई नियमावली जरूर होती है किंतु की ऐसी नियमावली सार्वजनिक रूप से तो पढ़ने के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। होगी, जरूर होगी, क्योंकि इतना बड़ा संगठन, 100 वर्ष से बिना सामान्य रूप से अन्य संगठनों में जो लड़ाई-झगड़े देखने को मिलते है वैसे RSS के संबंध कभी सुनने को नहीं मिलते। इसलिए निष्कर्ष यही मानना चाहिए कि नियमावली है किंतु शायद, सामान्य आदमी के पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं।

मुख्य संगठन जिसे के नाम से जाना जाता है। उसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 50 से अधिक राष्ट्र स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय सहयोगी या आनुषंगिक संगठन है। 200 से अधिक संगठन क्षेत्रीय स्तर पर काम करते है। अनुषांगिक संगठन संघ की मुख्य विचारधार (हिंदुत्व व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद -- वो जो भी हैं!!) को ध्यान में रख कर उसी के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में काम करते है।

कुछ राष्ट्रीय स्तर के सहयोगी संगठन हैं:-- सेवा भारती, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्र सेविका समिति, सहकार भारती, हिंदू स्वयं सेवक संघ, लघु उद्योग भारती, स्वदेशी जागरण मंच, क्रीड़ा भारती, विद्या भारती, विवेक नंद केंद्र, भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय मजदूर संघ, बजरंग दल, गौ रक्षक दल आदि-आदि। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भी RSS का एक सहयोगी, अनुषांगिक संगठन ही है। है या नहीं यह निष्कर्ष, व भाजपा के बड़े नेताओं के विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर दिए जाने वाले बयानों से पाठक स्वयं निकाले।

विश्व हिंदू परिषद देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर हिंदुत्व विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है।1984 में स्थापित बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की युवा सखा है। गौ रक्षा दल, हिंदू वाहिनी के भी RSS से संबंध हैं।

RSS के अनुसार उसके अनुषांगिक संगठन समाज के वंचित समुदायों, कमजोर आर्थिक स्थिति वालों, कच्ची बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता संबंधित कार्य करते है। धार्मिक मुद्दों व हिंदुत्व के मुद्दों पर काम भी इन संगठनों के जरिए ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त RSS के लोग एक शब्द बहुदा काम लेते है वह है प्रकल्प। इसके विभिन्न संगठन विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं और जन सहयोग से RSS के उद्देश्यों (हिंदुत्व) के अनुरूप जनोथान के प्रोजेक्ट्स चलाते है। इन्हें प्रकल्प कहते है। इनकी सही सही संख्या तो नहीं पता किंतु RSS के जानकार, प्रवक्ता व अन्य लोग 2 से 4 लाख प्रकल्प बताते रहते है। संघ का मानना है कि उनके संगठन प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य भी करते है। करते ही होंगे किंतु अभी देश के बहुत से भाग भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेल रहे है, करोना कि आपदा आई, इन संगठनों का कोई बड़े पैमाने पर वैसा काम देखने को नहीं मिला जैसा कई अन्य धार्मिक संगठनों यथा विभिन्न गुरुद्वारों ने किया वैसा।

RSS का एक मुस्लिम विचार मंच भी है जिसका उद्देश्य मुसलमानों कोंएए में शामिल करना है। कई बारंएए मुसलमानों से धर्म परिवर्तन कर मूल धर्म में वापसी के भी आधे अधूरे, बिना इस से उत्पन होने वाली समाजिक कलिष्ठताओं पर गहन विचार किए अस्पष्ट विचार छोड़ता रहता है।

इस संगठन से जुड़ा एक बड़ा विवाद इसके किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत न होना भी रहा है। इस संबंध में कोई बड़ी जानकारी मुझे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हुई। कई बार इस संगठन के जानकारों के विचार टीवी, अखबारों में पढ़ने सुनने को मिलते है, उनके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि RSS किसी भारतीय कानून के अनुसार पंजीकृत संस्था नहीं है। RSS के कई पुराने स्वयं सेवक कहते मिल जाएंगे कि भारतीय संस्कृति व उसके मूल्यों तथा राष्ट्रवाद जागृत करने के पुनीत कार्य करने के लिए पंजीकरण आदि के सरकारी लफ़ड़ों में फंसने की कभी कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। RSS का काम बिना पंजीकरण के ज्यादा सरलता व सुविधाजनक तरीके से 100 वर्षों से चल रहा है।

हर प्रकार की सरकारों देश ने देखली, इस मुद्दे पर कोई कानूनी बाध्यता होती तो सरकारें कभी कोई आपत्ति करती नांएए पर 3,4 बार सरकारी बैन भी लग गए तो भी कुछ नहीं हुआ अर्थात स्वैच्छिक स्वयं सेवी RSS की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की गतिविधियों को चलाने के लिए किसी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं। इंकमटैक्स एक्ट की धारा 10(23c) के अनुसार लाभ नहीं कमाने वाले चैरिटेबल संगठनों पर इंकमटैक्स की भी देयता नहीं बनती।

RSS जानकारों का कहना है कि जो अनुषांगिक संगठन जन हित के कार्य करते है और किसी प्रकार की बाह्य आर्थिक सहायता लेते है वे सब आवश्यक कानूनों के अनुसार सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके ही कार्य करते है। प्राप्त सहायता का लेख, अंकेक्षण सब यथा विधि पूर्ण कराए जाते है।

कुछ ऐसे मुद्दे जो RSS का कभी पीछा नहीं छोड़ते :-- 1914 से 1919 तक चला प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त हुआ। उसका परिणाम था तुर्की में नया शासन, खलीफा का महत्व समाप्त, मध्य एशिया के मुस्लिम क्षेत्रों का विजेताओं के अनुरूप विभाजन, नई सीमाएं। इसका परिणाम था बड़े पैमाने पर मुस्लिम जगत में अशांति। भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। भारत में इस 1920 से 1930 की अवधि में कई हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए। 1919 के जलियांवाला गोलीकांड के भयंकर नरसंहार के बाद, 1920 से 1930 का काल आजादी से पूर्व भारत के लिए एक झकझोरने वाला त्रासदियों का काल रहा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नई चेतना, आजादी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, गांधीजी के रूप में भारत में RSS हिंदू मुस्लिम एकता चाहती थी। गांधीजी के रूप में देश में नया नेतृत्व पनप रहा था जिसका मूलमंत्र था अंग्रेजी सरकार से अहिंसात्मक असहयोग तथा अन्यायपूर्ण आदेशों, विदेशी माल का बहिष्कार। कुछ अतिवादी तत्व गांधीजी के इन प्रयासों के विरुद्ध थे।

इसी काल में संघ के संस्थापक हेडगेवारजी में भी कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की यात्रा शुरू की किंतु शीघ्र ही उनका गांधीजी व कांठोस की नीतियों से मोहभंग हो गया। इसकी परिणीति थी RSS का गठन। वैसे कांग्रेस ने तो 1934 में अपने सदस्यों पर, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के सदस्य होने पर रोक लगा दी थी। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि डाक्टर हेडगेवार के नेतृत्व में इक्कठे होने वाले स्वयं सेवको ने खुद को कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रखा। हेडगेवारजी की विचारधारा हिन्दुओं को संगठित करके, हिंदूधर्म विरोधी ताकतों से हिंदुओं को अपनी रक्षा करने, अपनी संस्कृति और हिंदू मूल्यों(हिंदुत्व) की रक्षा व प्रसार करने के लिए प्रेरित करना था।इसकी परिणीति हिंदू राष्ट्र के रूप में करने की थी। इसे हिंदू प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा भी कह सकते है। सही, गलत या आंशिक सही, किंतु RSS की स्थापना के समय से ही इस पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता आया है जिसे RSS कभी नहीं मिटा पाया या राजनीतिक प्रभुत्व बनाई रखने के लिए, स्वयं इसे मिटाना चाहता नहीं।

स्थापना के समय से ही RSS पर आरोप लगा है कि आजादी के आंदोलन से संगठन ने दूरी बनाके रखी, सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया और हमेशा उपनिवेशी ताकत के साथ सहयोगात्मक रुख अपनाया। यद्यपि अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह में डाक्टर हेडगेवार में भाग लिया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के निर्णय अनुसार 36 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया, उसमें RSS ने भाग लिया किंतु वह अंतिम बार था। शायद RSS का मानना था कि वह जिस राष्ट्र, चरित्र निर्माण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति में लगा है उसके लिए जरूरी था कि उसका कोई काम ब्रिटिश विरोधी न लगे और सरकार उसके काम में अवरोध उत्पन्न करे।

RSS से जुड़ी कुछ अन्य धारणाएं है कि इस संगठन में संविधान सभा द्वारा अपनाए गए राष्ट्र ध्वज तिरंगे ध्वज को कभी में से स्वीकार नहीं किया। इसे अशुभ माना गया। यह संगठन इसके स्थान पर केसरिया ध्वज जो सामान्यत किसी मंदिर, धार्मिक स्थान पर देखने को मिलता है, उसे राष्ट्र ध्वज चाहते थे।इस संगठन ने अपने नागपुर स्थित मुख्यालय पर वर्ष 2000 से पहले तिरंगा फहराया भी नही,यह आरोप भी लगता हैंएए के शीर्ष नेताओं में भारत के संविधान के लिए भी सार्वजनिक रूप से कहा कि इसमें भारतीय शास्त्रीय व सांस्कृतिक मूल्यों का कोई समावेश नहीं यह पश्चिमी देशों के संविधानों की नकल है। यह सब बातें उस समय केंएए के मुखपत्र ऑर्गनाइजर आदि में छपे लेखों के आधार पर कही जाती है।

आपने शायद यह कई बार सुना होगा कि भाजपा, RSS का ध्येय, सपना अखंड भारत स्थापित करने का है। यह कभी स्पष्ट नहीं किया जाता कि कौन सा अखंड भारत --चन्द्रगुप्त मौर्य या महान सम्राट अशोक या समुद्रगुप्त या चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क या हर्ष या हम्पी का विजयनगर साम्राज्य या चोल राजाओं का साम्राज्य या किसी अन्य राजा के समय जो सीमाएं थी उन्हें अखंड भारत की सीमाएं मानकर प्रयास कर रहे है?? और एक वाक्य बोलने के अतिरिक्त क्या प्रयास किया?इसे कभी स्पष्ट नहीं किया जाता। हमेशा भ्रम बनाए रखा जाता है।

RSS शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस,ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को, हिंदू साम्राज्य दिवस उत्सव मनाती है,क्या इसमें अखंड भारत की झलक मिलती है? विस्तार की दृष्टि से तो शिवाजी महाराजा के राज्य की सीमाएं, ऊपर उल्लेखित किसी भी साम्राज्य की तुलना में, बहुत सीमित थी। ंएए के अनुसार वह साम्राज्य सुशासन का प्रतीक था जिसमें निर्णय अमात्यों के साथ चर्चा कर सहमती से किए जाते थे। यदि मुगलों से सामना करने की बात के आधार पर कोई उत्सव मनाया जाए तो फिर महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल ने भी डटकर मुगलों का सामना किया था।

RSS से या किसी से भी, एक प्रश्न है कि क्या आज के संवैधानिक भारत की तुलना में इन में से कोई भी राज्य श्रेष्ठ था और कैसे? आम आदमी को जो संवैधानिक अधिकार आज हैं वैसे किसी ओर काल खंड में थे??

एक अन्य मुद्दा जो कई बार जन चर्चा में उछला जाता है, वह है कि उस समय के आजादी के सेना नायकों ने राज्य की लालसा की जल्दबाजी में भारत का विभाजन स्वीकार किया।और क्या विकल्प हो सकता था, इसको हमेशा अस्पष्ट रखा जाता है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की हैसियत एक आर्थिक, सामरिक महाशक्ति वाली नहीं रही। उसको हिंदुस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटना ही था। अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस एक्ट पारित कर दिया था। उन्होंने देशी रियासतों को एक विकल्प यह भी दे दिया कि वे स्वतंत्र रह सकते थे।

560 से ऊपर देशी राज्यों के लिए ंएए के पास क्या विकल्प था? क्या उन्हें स्वतंत्र रहने दिया जाता?? क्या गांव, देहात, कच्ची बस्तियों गरीब,मजदूर किसानों को निरंकुश रजवाड़ों की दया पर ही छोड़ दिया जाता? क्या इन रजवाड़ों को विभाजन स्वीकार करने वाले नेताओं ने ही भारत संघ में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया? देशी रियासतों के लोगों के प्रतिनिधियों को संविधान निर्मात्री सभी में शामिल कर के देशी रजवाड़ों को साफ संदेश दे दिया था कि वे, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि आजादी के जंग से जुड़ी जनता के आक्रोश को वे सहन नहीं कर पाएंगे। यह नहीं भूलना चाहिए कि देशी रियासतों की राजव्यवस्था उस समय के अभिजात वर्ग की अत्यंत अनुकूल थी और गरीब जनता के पास कोई अधिकार नहीं थे या नुमाइशी तोर पर नाम मात्र थे। हिंदू महासभा में इसी अभिजात वर्ग के लोग जी थे।

वैसे कुछ निष्पक्ष इतिहासकारों का मानना है कि भारत विभाजन के लिए ब्रिटेन, हिंदू महा सभा के अग्रणी नेता, जिन्ना और मुस्लिम लीग वो दामोदर सावरकर के द्वि राष्ट्र के विचार या हिंदू-मुस्लिन दो राष्ट्र के विचार दोषी थे?

कुछ लोग प्रश्न पूछ लेते है, RSS में महिलाओं का क्या स्थान है? RSS के जानकार केवल यह कहते है कि महिलाओं के लिए महिला राष्ट्र सेविका समिति अनुषांगिक संगठन है। किंतु यह इसका उतर नहीं हो सकता कि क्या कभी कोई महिलांएए की सरसंघ चालक या सहकार्यवाह बन सकती हैं क्या??

इसी प्रकार पूछने वाले तो पूछते ही रहते है कि सरसंघ चालक का चयन कैसे होता है? आज से करीब 6,7 साल पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में RSS के बारे में जानकारी देने के लिए एक कार्यक्रम था। उसमें यही प्रश्न श्री मोहन भागवत जी से पूछा गया था। उनका उतर था.....किसी में मेरा चयन किया, किसी को मैं चुन लूंगा.....खैर यह रस का आंतरिक मामला है और स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि सरसंघचालक का चुनाव वर्तमान सरसंघ चालक के मनोनयन को प्रतिनिधि सभा द्वारा अनुमोदन (जो मात्र औपचारिकता होती है) से होता है। पद की कोई समयावधि नहीं होती। जब सरसंघ चाहेंगे तब वे स्वयं पद छोड़ देते है। इसी प्रकार समय समय पर कुछ ओर भी विचार उछाले जाते है जैसे हिंदुओं, मुसलमानों का DNA एक ही है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, हिंदुओं की वजह से ही भारत धर्म निरपेक्ष है वगैरा। लगातार अस्पष्ट, भ्रामक बयान देते रहना RSS की सोची-समझी रणनीति होती है ताकि राजव्यवस्था में हिंदुओं और मुख्यत पूर्व वाले अभिजात वर्ग का प्रभुत्व बना रहे।

–महावीर सिंह, पूर्व आई ए एस

त्यौहार के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिये विशेष ट्रेनों का संचालन

कोटा, (निसं)। त्यौहारी मौसम में यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा गांधीधाम-सियालदह-गांधीधाम के बीच सुपरफास्ट विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा हैं।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि गाड़ी संख्या 09437 गांधीधाम-सियालदह का संचालन दिनांक 17, 24 सितम्बर एवं 1, 8 अक्टूबर 2025 को 4 फेरों के लिए किया जाएगा। यह ट्रेन गांधीधाम स्टेशन से प्रत्येक बुधवार शाम 18.25 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन मार्ग में गुरुवार को 7.38 बजे भवानीमंडी, 8.03 बजे रामगंजमंडी, 9.10 बजे कोटा, 11.30 बजे गंगापुर सिटी एवं 13.28 बजे बयाना स्टेशनों पर ठहरते हुए शुक्रवार 16.15 बजे सियालदह पहुंचेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09438 सियालदह-गांधीधाम का संचालन दिनांक 20, 27 सितम्बर एवं 4, 11 अक्टूबर 2025 को कुल 4 फेरों के लिए किया जाएगा। यह ट्रेन सियालदह स्टेशन से प्रत्येक शनिवार प्रात: 5.15 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन मार्ग में रविवार को 5.45 बजे बयाना, 7.40 बजे गंगापुर सिटी, 10.25 बजे कोटा, 11.37 बजे रामगंजमंडी एवं 12.07 बजे भवानीमंडी स्टेशनों पर ठहरते हुए सोमवार तड़के 2.00 बजे गांधीधाम पहुंचेगी। यह गाड़ी रास्ते में दोनों दिशाओं में गांधीधाम, समाखियाली, ध्रांगध्रा, अहमदाबाद, छायापुरी, गोधरा, रतलाम, नागदा, भवानीमंडी, रामगंजमंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, ईदगाह, टुंडला, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, पं.दीन दयाल उपाध्याय जं., भबुआ रोड, सासाराम, डेहरी-ऑन-सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, गोमो, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्द्धमान एवं सियालदह स्टेशनों पर ठहराव लेकर गंतव्य को जाएगी। कोच संरचना-इस विशेष ट्रेन में 5 शयनयान श्रेणी, 10 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी एवं 01 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के डिब्बों सहित कुल 18 डिब्बे होंगे।

धनसोटी गांव में मृत्युभोज पर रोक लगाने का निर्णय

भरतपुर, (निसं)। महाराजा जवाहर सिंह स्मारक समिति भरतपुर ने तहसील कुम्हेर के गांव धनसोटी में मृत्युभोज रोकने की पहल की तथा बैठक में मृत्युभोज नहीं करने की निर्णय लिया गया। समिति के मीडिया प्रभारी डॉ. उदयभान सिंह ने बताया कि गांव धनसोटी के जल सिंह फौजदार के पिता का स्वर्गवास हो गया था, जिसके लिए गांव वाले मृत्युभोज करने का मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे थे। उनका कहना था कि स्वर्गवासी पिता ने जिन्दगी भर कमाया, बच्चों का पालन-पोषण किया और सब कुछ यहीं छोड़ गये, इसलिए उनकी आत्मशान्ति के लिए मृत्युभोज करना आवश्यक है। समिति के हीरासिंह आर्य, ओमप्रकाश

■ **ग्रामीणों ने सामाजिक सुधार का निर्णय लिया**

सोगरवाल व थान सिंह सोलंकी ने कहा कि परिजन की मृत्यु से परिवार में शोक होता है तथा मृत्युभोज के खर्चे के कारण गरीब लोगों की सम्पत्ति भी बिक जाती है अथवा कर्ज हो जाता है, जिसे कई सालों तक चुकाना पड़ता है। मृत्युभोज के बजाय स्वर्गवासी की याद में जन सुविधा के लिए विद्यालय में कक्षा कक्ष अथवा सामुदायिक भवन आदि बनवाये जा सकते हैं। इस पर समस्त ग्रामीणों ने सहमति दी तथा मृत्युभोज रोकने का निर्णय किया।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 15 सितम्बर, 2025

आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, मृगशिरा नक्षत्र प्रात: 7:32 तक, व्यतिपात योग रात्रि 3:34 तक, तैतिल करण दिन 3:19 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-तुला, बुध-सिंह, गुरू-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग योग सूर्योदय से प्रात: 7:32 तक है। आज मृत नवमी, नवमी का श्राद्ध, सौभाग्यवतीना श्राद्ध, व्यतिपात पुण्य है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:47 तक, शुभ 9:14 से 10:51 तक, चर 1:54 से 3:25 तक, लाभ-अमृत 3:25 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 6:16, सूर्यास्त 6:28

मेष

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ